

**बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008 62(431) /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 28/01/16

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफतुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 192- नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता, हेतु विपत्र कोड सं0-पी0-3456001920101, मांग सं0-18, राज्य योजना के विषयशीर्ष 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 85,00,000/- (पचासी लाख) रुपये मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-380 दिनांक 06.01.2016 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अधीन आवश्यक वस्तुओं के उठाव एवं वितरण की निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु राज्य/ जिला / प्रखंड/ शहरी/ वार्ड / पंचायत स्तरीय निगरानी समिति, अनुमंडल अनुश्रवण समिति एवं पटना अनुभाजन अनुश्रवण समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने पर बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 396/वि0 दिनांक 24.04.2015 में निहित निदेश के अनुपालन में संलग्न तालिका के अनुसार कुल 85,00,000/- (पचासी लाख) रुपये मात्र को आवंटित करके हुए व्यय करने हेतु आवंटित की जाती है ।


क्रमांक	मुख्यशीर्ष	लघुशीर्ष	विषयशीर्ष	उपशीर्ष	राशि
1.	3456	192	28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता ।	85,00,000
कुल योग :-					85,00,000

2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 192- नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति, विपत्र कोड सं0-पी0-3456001920101, मांग संख्या 18, योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगी ।


3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा की निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रितीय वर्ष 2015-16 में अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे ।


विश्वासभाजन,


सरकार के संयुक्त सचिव ।


ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008- 62(9012) /खाद्य,पटना-15, दिनांक-28/01/16
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008- 62(9012) /खाद्य,पटना-15, दिनांक- 28/01/16
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008- 62(9012) /खाद्य,पटना-15, दिनांक-28/01/16
प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा- 07 एवं 05 खाद्य एवं उप
संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 192- नगरपालिकाओं /
नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित
समिति, मांग सं0-18 विपत्र कोड संख्या- पी0 3456001920101 योजना के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु आवंटन विवरणी:-

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	पटना	223684
2	नालन्दा	223684
3	भोजपुर	223684
4	बक्सर	223684
5	रोहतास	223684
6	भभुआ	223684
7	गया	223684
8	जहानाबाद	223684
9	अरवल	223684
10	औरंगाबाद	223684
11	नवादा	223684
12	सारण	223684
13	सीवान	223684
14	गोपालगंज	223684
15	मुजफ्फरपुर	223686
16	वैशाली	223684
17	सीतामढ़ी	223684
18	शिवहर	223684
19	प० चम्पारण	223684
20	पूर्वी चम्पारण	223686
21	दरभंगा	223684
22	मधुबनी	223686
23	समस्तीपुर	223686
24	सहरसा	223684
25	सुपौल	223684
26	मधेपुरा	223684
27	पूर्णिमा	223684
28	अररिया	223684
29	किशनगंज	223684
30	कटिहार	223684
31	मुंगेर	223684
32	जमुई	223684
33	लखीसराय	223684
34	शेखपुरा	223684
35	वेगूसराय	223684
36	खगड़िया	223684
37	भागलपुर	223684
38	बाँका	223684
कुल योग:-		8500000

रुपये (पचासी लाख) मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव ।

6/11/16